अनुशासनिक कार्यवाही (Day 2)

(उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003)

प्रस्तुति

राजेश मेहतानी

निदेशक (से. नि.)

सेण्टर फॉर एक्सीलेंस एंड ट्रेनिंग

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

इंदिरा नगर, लखनऊ

जाँच रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना

नियम 8

जाँच पूरी हो जाने पर जाँच अधिकारी जांच के समस्त अभिलेखों के साथ अपनी जाँच रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जाँच रिपोर्ट में संक्षिप्त तथ्यों का पर्याप्त अभिलेख, साक्ष्य और प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष का विवरण और उसके कारण अन्तर्विष्ट होंगे। जाँच अधिकारी/जाँच समिति शास्ति के बारे में कोई संस्तुति नहीं करेगा।

जाँच रिपोर्ट पर कार्यवाही

नियम 9

(एक) अनुशासनिक प्राधिकारी सरकारी सेवक को सूचना देते हुए ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, मामला पुनः जांच के लिए उसी या किसी अन्य जांच अधिकारी को प्रेषित कर सकेगा। तदुपरांत जांच अधिकारी उस स्तर से जिससे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया हो, नियम-7 के उपबन्धों के अनुसार जांच की कार्यवाही करेगा।

नियम 9

(दो) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह किसी आरोप के निष्कर्ष पर जांच अधिकारी से असहमत हो तो उसे अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अपने निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा।

नियम 9

(तीन) आरोप सिद्ध न होने की दशा में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोपित सरकारी सेवक को आरोपों से विमुक्त कर दिया जायेगा और तदनुसार उसे संसूचित कर दिया जायेगा।

नियम 9

(चार) यदि समस्त या किन्हीं आरोपों के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि नियम 3 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति आरोपित सरकारी सेवक पर अधिरोपित होनी चाहिए। तो वह उपनियम (दो) के अधीन जांच रिपोर्ट और उसके अभिलिखित निष्कर्षों की एक प्रति आरोपित सरकारी सेवक को देगा और उससे उसका अभ्यावेदन, यदि वह ऐसा चाहता हो, एक युक्तियुक्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। अनुशासनिक प्राधिकारी जांच और आरोपित सरकारी सेवक के अभ्यावेदन से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो, और इस नियमावली के नियम 16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियमावली के नियम 3 में उल्लिखित एक या एक से अधिक शास्तियां अधिरोपित करते हुए एक युक्तियुक्त आदेश पारित करेगा और उसे आरोपित सरकारी सेवक को संसूचित करेगा।

अपील

नियम 11

(एक) इस विनियमावली के अधीन राज्यपाल द्वारा पारित आदेश के सिवाय, सरकारी सेवक अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की अपील अगले उच्चतर प्राधिकारी को करने का हकदार होगा।

(दो) अपील, अपीलीय प्राधिकारी को सम्बोधित करते हुए प्रस्तुत की जायेगी। यदि कोई सरकारी सेवक अपील करेगा तो वह उसे अपने नाम से प्रस्तुत करेगा। अपील में ऐसे समस्त तात्विक कथन और तर्क होंगे जिन पर अपीलार्थी भरोसा करता हो।

नियम 11

(तीन) अपील में किसी असंयमित भाषा का प्रयोग नहीं किया जायेगा। कोई अपील, जिसमें ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाय सरसरी तौर पर खारिज की जा सकेगी।

(चार) अपील आक्षेपित आदेश की संसूचना के दिनांक से 90 दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी। उक्त अवधि के पश्चात की गई अपील सरसरी तौर पर खारिज कर दी जायेगी।

अपील पर विचार

नियम 12

अपीलीय प्राधिकारी निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात अपील में इस विनियमावली के नियम 13 के खण्ड (क) से (घ) में यथा उल्लिखित ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे –

(क) क्या ऐसे तथ्य जिन पर आदेश आधारित था, स्थापित किये जा चुके हैं,

(ख) क्या स्थापित किये गये तथ्य कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं, और

(ग) क्या शास्ति अत्यधिक, पर्याप्त या अपर्याप्त है।

पुनरीक्षण

नियम 13

इस नियमावली के किसी बात के होते हुए भी सरकार स्वप्रेरणा से या सम्बन्धित सरकारी सेवक के अभ्यावेदन पर किसी ऐसे मामले के अभिलेख को मंगा सकेगी जिसका विनिश्चय उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा इस नियमावली द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके किया गया हो और -

(क) ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर सकेगी, उसका उपान्तर कर सकेगी या उसे उलट सकेगी, या

विनियम 13

(ख) निदेश दे सकेगी कि मामले मे अग्रेतर जांच की जाय, या

(ग) आदेश द्वारा अधिरोपित दण्ड को कम कर सकेगी या उसमें वृद्धि कर सकेगी, या

(घ) मामले में ऐसा अन्य आदेश दे सकेगी जैसा वह उचित समझे।

पुनर्विलोकन

नियम 14

राज्यपाल, यदि उनके संज्ञान में यह बात लाई गई हो कि आक्षेप आदेश पारित करते समय कोई ऐसी नई सामग्री या साक्ष्य पेश न किया जा सका था या वह उपबन्ध नहीं था या विधि की कोई ऐसी तात्विक त्रुटि हो गई थी जिसका प्रभाव मामले की प्रकृति को परिवर्तित करता हो, तो वह किसी भी समय स्वप्रेरणा से या सम्बन्धित सरकारी सेवक के अभ्यावेदन पर इस नियमावली के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेंगे।

शास्ति अधिरोपित करने या वृद्धि करने के पूर्व अवसर

नियम 15

नियम-12, 13 और 14 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि सम्बन्धित सरकारी सेवक को प्रस्तावित यथास्थिति, अधिरोपित करने या वृद्धि करने के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

आयोग से परामर्श

नियम 16

इस नियमावली के अधीन राज्यपाल द्वारा किसी आदेश के पारित किये जाने के पूर्व समय-समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 के अधीन यथा अपेक्षित, आयोग, से भी परामर्श किया जायेगा।

आपराधिक अभियोजन एवं विभागीय जांच साथ-साथ किया जाना

1. विभागीय कार्यवाही एवं आपराधिक मामले की कार्यवाही साथ-साथ की जा सकती है। यह कार्यवाहियां पृथक-पृथक एवं साथ-साथ करने में कोई बाधा नहीं है।

2. यदि विभागीय एवं आपराधिक मामले की कार्यवाहियां समान एवं समरूपी तथ्यों एवं आरोप पर आधारित हों तथा आपराधिक आरोप गम्भीर प्रकृति का हो, जिसमें तथ्यों एवं कानून का क्लिष्ट प्रश्न अन्तर्गस्त हो तो आपराधिक मामले के निर्णय तक विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखने के बिन्दु पर सम्यक विचारोपरांत विनिश्चय करके यथोचित आदेश किया जायेगा।

3. आपराधिक आरोप गम्भीर प्रकृति का है या नहीं? तथ्य एवं कानून का क्लिष्ट प्रश्न अन्तर्गस्त है अथवा नहीं? का विनिश्चय अपराध की प्रकृति, कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित मामले की प्रकृति, अन्वेषण के दौरान उसके विरुद्ध एकत्रित साक्ष्य सामग्री एवं अन्य सामग्री, जैसा कि आरोप पत्र में अभिलिखित है, पर विचार करके किया जायेगा।

4. विभागीय कार्यवाही के स्थगन पर विचार के लिए उपर्युक्त क्रम संख्या 2 एवं 3 पर वर्णित बातों पर एकाकीपन (आइसोलेशन) में विचार नहीं किया जायेगा, अपितु विभागीय कार्यवाही को अनावश्यक विलम्बित न किए जाने के तथ्य पर भी सम्यक विचार किया जायेगा।

5. यदि आपराधिक मामले में प्रगति नहीं होती अथवा इसके निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है, तब विभागीय कार्यवाही को, भले ही उसे आपराधिक मामला लम्बित होने के कारण स्थगित किया गया हो, पुनः आरम्भ करके कार्यवाही की जा सकती है।

6. आपराधिक घटना पर आधारित अनुशासनिक कार्यवाही को तभी स्थगित किया जा सकता है जबकि आपराधिक वाद की कार्यवाही में आरोप गम्भीर प्रकृति के हों और मामले में जटिल तथ्य व विधि के प्रश्न अन्तर्निहित हों। अन्य मामलों में आपराधिक कार्यवाही के चलने के दौरान अनुशासनिक कार्यवाही भी चलायी जानी चाहिए और उनका शीघ्र निस्तारण भी किया जाना चाहिए। ऐसे अनुशासनिक कार्यवाही के मामले जो आपराधिक वाद की कार्यवाही चलने के कारण स्थगित कर दिये गए हों, को पुनः चालू करने के लिए प्रत्येक 6 माह पर आपराधिक वाद की कार्यवाही निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की जानी चाहिए। यदि यह अनुभव हो कि आपराधिक वाद की कार्यवाही अवांछित रूप से विलम्बित हो गयी है और अनुशासनिक कार्यवाही को स्थगित रखना उचित नहीं रह गया है तब अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करके उसे शीघ्रता से निस्तारित कर लिया जाना चाहिए।

सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनिक कार्यवाही

ऐसा हो सकता है कि कोई कर्मचारी विभागीय जाँच (अनुशासनिक कार्यवाही) चलते रहने के दौरान जाँच पूरी होने के पूर्व सेवानिवृत्त हो जाय अथवा उसके द्वारा अपने सेवाकाल के दौरान की गई कोई अनियमितता या कदाचार उसकी सेवानिवृत्ति के बाद प्रकाश में आए। ऐसी दशा में ऊपर वर्णित लघु दण्ड या दीर्घ दण्ड देने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। परन्तु सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन में कमी करने, पेंशन रोकने अथवा पेंशन से वसूली का दण्ड दिया जा सकता है। इसके लिये व्यवस्था सिविल सर्विस रेगुलेशन्स (सी.एस.आर.) के अनुच्छेद-351-ए में की गयी है।

उक्त नियम में यह व्यवस्था है कि किसी विभागीय कार्यवाही अथवा न्यायायिक कार्यवाही में कोई कर्मचारी अपने सेवाकाल में गम्भीर कदाचार (Grave misconduct) का अथवा शासन को वित्तीय क्षति पहुँचाने का दोषी पाया गया हो (चाहे ऐसा अवचार सेवा में रहते हुए प्रकाश में आया हो अथवा सेवानिवृत्ति के बाद) तो राज्यपाल द्वारा उसकी पेंशन पूरी अथवा आंशिक रूप से तथा स्थायी रूप से या किसी निश्चित अवधि के लिए रोकी जा सकती है, वापस ली जा सकती है अथवा इससे (पेंशन से) शासकीय क्षति की धनराशि की पूरी अथवा आंशिक वसूली करने के आदेश दिये जा सकते हैं।

परन्तु उक्त दण्ड देने के लिए शर्त यह है कि -

(1) यदि ऐसी विभागीय कार्यवाही कर्मचारी के सेवाकाल में ही प्रारम्भ नहीं हो गयी थी तो -

(क) तब तक प्रारम्भ नहीं की जायेगी जब तक राज्यपाल इसकी स्वीकृति न दे दें।

(ख) कार्यवाही ऐसी घटना के बारे में ही की जा सकेगी जो जाँच प्रारम्भ करते समय चार वर्ष से अधिक पुरानी न हो।

(ग) जाँच ऐसी रीति से की जायेगी जो दीर्घ दण्ड देने के लिए आवश्यक होती है।

(2) न्यायिक कार्यवाही यदि सेवा में रहते प्रारम्भ नहीं हुयी थी तो उसके आधार पर उक्त दण्ड तभी दिया जायेगा जब वह ऐसी घटना के बारे में हो जो न्यायिक कार्यवाही प्रारम्भ होते समय चार वर्ष से अधिक पुरानी न हो।

(3) ऐसा दण्डादेश पारित करने से पूर्व लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना आवश्यक होगा।

स्पष्टीकरण:-

उक्त मामलों में विभागीय जाँच उस दिनांक से प्रारम्भ हुयी मानी जायेगी जिस दिनांक को अपचारी के विरुद्ध आरोप पत्र उसे जारी कर दिया गया हो अथवा यदि वह इससे पहले की किसी तिथि से निलम्बित कर दिया गया हो तो उस तिथि से मानी जायेगी। न्यायिक कार्यवाही उस तिथि से प्रारम्भ हुयी मानी जायेगी जब आरोप पत्र वाद न्यायालय में दाखिल कर दिया गया हो।

सिविल सर्विस रेगुरेशन्स (सी.एस.आर.) के अनुच्छेद-351-बी के अनुसार जिन मामलों में पेंशन रोकी अथवा वापस न ली गयी हो बल्कि शासन को पहुँचायी गयी वित्तीय क्षति की धनराशि को पेंशन से वसूल किया जाना हो, उनमें वसूली की दर स्वीकृत सकल पेंशन (राशिकरण की धनराशि को घटाये बिना) के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय जाँच की कार्यवाही के लम्बित रहते हुए आरोपित सरकारी सेवक अपनी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हो जाता है तो लम्बित जाँच को सी.एस.आर. के अनुच्छेद 351 ए के तहत पेंशन से कटौती के लिए जारी रखा जा सकता है, परन्तु सरकारी सेवक को कोई अन्य दण्ड नहीं दिया जा सकता है और न ही उक्त दण्ड के उद्देश्य से कार्यवाही प्रारभ्भ की / जारी रखी जा सकती है।

Dos and Don’ts

जिनका अनुपालन आवश्यक है (Dos)

1. जहां नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने पर दीर्घ शास्ति/शास्तियां भी अधिरोपित की जा सकती है, तो नियमावली के नियम 7 में विहित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

2. किसी भी सरकारी सेवक का निलंबन तभी किया जाना चाहिए जब सरकारी सेवक के विरुद्ध अभिकथन (Allegations) इतने गम्भीर हों कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में दीर्घ शास्ति/शास्तियों का समुचित आधार हो सकता है।

3. सामान्यतया अपचारी सरकारी सेवक से दो स्तर ऊपर का जाँच अधिकारी होना चाहिए और जाँच से सम्बन्धित स्थान पर तैनात अधिकारी को पदनाम से जाँच अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए।

4. आरोप पत्र यथाशीघ्र निर्गत किया जाना चाहिए, जिसमें समस्त आरोप स्पष्ट एवं संक्षेप में अभिलिखित हों। आरोपों के समर्थन में ऐसे साक्ष्य दिए जाने चाहिए, जो वास्तविक रूप से आरोपों का समर्थन करते हों।

5. अपचारी सरकारी सेवक द्वारा यदि अभिलेखों के निरीक्षण की अपेक्षा की जाती है तो उसे निरीक्षण का अवसर अवश्य प्रदान किया जाय।

6. अपचारी सरकारी सेवक से अपना लिखित स्पष्टीकरण 15 दिन से 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करने को कहा जाय।

7. यदि जाँच, पूर्व नियुक्ति के स्थान से संबंधित है तो अपचारी सरकारी सेवक को उस स्थान पर जाने की अनुमति दे दी जाय, जहां उसे अभिलेख आदि देखने हैं।

8. जांच अधिकारी अपचारी सरकारी सेवक को साक्ष्य के अन्तर्गत दिये गये अभिलेखों की स्वीकार्यता के संबंध में आपत्ति प्रकट करने का अवसर भी देंगे।

9. आरोपित सरकारी सेवक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए। यदि आरोपित सरकारी सेवक आरोपों से इन्कार करता है, वहाँ जाँच अधिकारी आरोप पत्र में प्रस्तावित साक्षियों (Witness) को प्रतिपरीक्षण (Cross-Examination) हेतु बुला सकते है। जाँच अधिकारी उनके मौखिक साक्ष्यों को आरोपित सरकारी सेवक की उपस्थिति में अभिलिखित करेंगे। उपर्युक्त साक्ष्यों को अभिलिखित करने के पश्चात जाँच अधिकारी उस मौखिक साक्ष्य को मांगेंगे और उसे अभिलिखित करेंगे जिसे आरोपित सरकारी सेवक ने अपनी प्रतिरक्षा मे अपने लिखित कथन में प्रस्तुत चाहा था।

प्रतिबंध यह है कि जाँच अधिकारी ऐसे कारणों से जो लिखित रूप से अभिलिखित किए जाएंगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकेंगे।

10. जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान गवाहों के बयान आरोपित सरकारी सेवक के समक्ष तथा विधिवत शपथ दिलवाने के उपरान्त लिया जाना चाहिए।

11. जाँच अधिकारी संपूर्ण जाँच की कार्यवाही में कृत कार्यवाहियों का आदेश पत्रक (Order Sheet) तैयार करेंगे। जिस पर यथासमय आरोपित सरकारी सेवक एवं अन्य साक्षियों के हस्ताक्षर कराएंगे। जाँच आख्या प्रस्तुत करते समय जाँच आख्या के साथ उक्त आदेश पत्रक को संलग्नक के रूप में अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे।

12. यदि अनुशासनिक प्राधिकारी जाँच अधिकारी की आख्या के निष्कर्षों से असहमत हैं तो असहमति के संबंध में अपने निष्कर्षों को सकारण अभिलिखित करेंगे, तथा अपचारी सरकारी सेवक से अपने अभिलिखित निष्कर्ष पर 02 सप्ताह के भीतर उत्तर की अपेक्षा करेंगे।

13. किसी विभागीय जाँच की कार्यवाही के फलस्वरूप नियमावली में उल्लिखित एक से अधिक दण्ड दिये जाने का निर्णय लिए जाने पर दण्डादेश पृथक-पृथक निर्गत नहीं किये जायेंगे। दण्डादेश सदैव सकारण एवं स्वमुखरित होने चाहिए।

14. सेवा से हटाना अथवा सेवा से पदच्युत किये जाने के आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होंगे।

15. विभागीय कार्यवाही एवं आपराधिक मामले की कार्यवाही पृथक-पृथक की जा सकती है।

16. यदि विभागीय जाँच की कार्यवाही के लम्बित रहते हुए आरोपित सरकारी सेवक अपनी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर सेवा निवृत्त हो जाता है तो लम्बित जाँच को सी.एस.आर. के अनुच्छेद 351 A के तहत पेंशन की कटौती के लिए जारी रखा जा सकता है। उक्त आशय का औपचारिक निर्णय लेते हुए तदनुसार आदेश भी निर्गत कर दिए जाने चाहिए।

17. यदि सेवानिवृत्ति के पश्चात कोई तथ्य सामने आये तो सेवानिवृत्ति के पश्चात भी सी.एस.आर. के अनुच्छेद 351 A के तहत कार्यवाही की जा सकती है, बशर्ते जिस घटना के संबंध में जाँच प्रारम्भ की जाय, जाँच प्रारम्भ करने की तिथि को उस घटना को 04 वर्ष से अधिक समय न बीत चुका हो।

18. एक घटना से संबंधित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जाँच एक ही अधिकारी से करायी जानी चाहिए। ऐसा जाँच अधिकारी प्रकरण में अंतर्ग्रस्त कार्मिकों में उच्चतम पद धारक के अनुसार नामित किया जायेगा।

निषेधात्मक निर्देश (Don’ts)

1. सामान्यतया अपचारी सरकारी सेवक को अपना स्पष्टीकरण दिये जाने हेतु 02 माह से अधिक का समय न दिया जाय। किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में उक्त समय सीमा में युक्ति-युक्त (Reasonable) वृद्धि की जा सकती है।

2. जाँच अधिकारी को जाँच आख्या में प्रस्तावित शास्तियों के विषय में कोई मंतव्य अथवा संस्तुति अंकित नहीं करनी चाहिए।

3. वेतन वृद्धि को संचयी या स्थायी प्रभाव से रोके जाने की दशा में दण्ड के प्रभावी रहने की अवधि का अंकन नहीं किया जायेगा।

4. चेतावनी नियम-3 में उल्लिखित शास्तियों में शामिल नहीं है, अतः चेतावनी देते हुए विभागीय जाँच (नियम-7 या नियम-10) के प्रकरण समाप्त किया जाना नियम संगत नहीं है।

5. आरोप पत्र अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जाएगा।

6. सर्तकता विभाग की खुली या गोपनीय जाँच, जो प्राथमिक जाँच है, के परिणाम आने पर पुनः वैभागिक स्तर पर प्राथमिक जाँच नहीं की जानी चाहिए बल्कि सीधे औपचारिक जाँच, यदि आवश्यक हो, प्रारम्भ की जानी चाहिए।

7. आरोप पत्र में सर्तकता जाँच का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

8.यदि मामला जाँच हेतु प्रशासनाधिकरण/सर्तकता अधिष्ठान/अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दिया गया हो तो वैभागिक स्तर पर औपचारिक जाँच नहीं की जानी चाहिए और यदि वैभागिक स्तर पर जाँच चल रही हो तो रोक देनी चाहिए तथा प्रशासनाधिकरण की अन्तिम जाँच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिए।

9. न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध के आधार पर यदि दण्ड दिया जाना है तो न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सरकारी सेवक द्वारा अपील किये जाने की प्रतीक्षा तथा यदि अपील की जा चुकी हो तो उसके निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिए बल्कि ट्रायल (प्राथमिक) कोर्ट द्वारा की गई दोष सिद्ध के आधार पर समुचित दण्डादेश पारित कर देना चाहिए।

10. सेवा से पदच्युत करना और सेवा से हटाने का दण्ड आरोपित सरकारी सेवक के वास्तविक नियुक्ति अधिकारी से नीचे के स्तर के अधिकारी द्वारा नहीं दिया जा सकता।

Short Capsule : सेवानिवृत्त सरकारी सेवक जिनके विरुद्ध सतर्कता जांच चल रही हो,...

302 views • 1 day ago

Short Capsule : परिनिन्दा और चेतावनी में अन्तर - अनुशासनिक कार्यवाही

260 views • 2 days ago

Short Capsule : अवचार नामक लघु शास्ति क्या है? - अनुशासनिक कार्यवाही

124 views • 3 days ago

Short Capsule : शास्तियां एवं दीर्घ दण्ड देने की प्रक्रिया - अनुशासनिक कार्यवाही

138 views • 4 days ago

Short Capsule : क्या जाँच के लिए, जाँच अधिकारी नामित किया जाना आवश्यक है? -...

213 views • 5 days ago

Short Capsule : निलम्बित कर्मचारी की मृत्यु

439 views • 6 days ago

Rajesh Mehtani

@rajeshmehtani8247 2.23K subscribers 332 videos

More about this channel >

Customise channel | Manage videos

HOME | VIDEOS | LIVE | PLAYLISTS | COMMUNITY | CHANNELS | ABOUT

Short Capsule : सेवानिवृत्त सरकारी सेवक जिनके विरुद्ध सतर्कता जांच ...

200 views • 11 hours ago

सेवानिवृत्त सरकारी सेवक जिनके विरुद्ध सतर्कता जांच चल रही हो, अन्तिम पेंशन का भुगतान